न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारीः सीताराम चौधरी (आर.जे.एस.)

दाण्डिक मूल प्रकरण संख्याः 1586/2017

अपराध अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य लेख अधिनियम

1. हेमन्त खत्री पुत्र पूनमचंद खत्री, निवासी गांधी कॉलोनी, जैसलमेर, तहसील व जिला जैसलमेर। ....**परिवादी**

बनाम

1. कैलाश पुत्र दाना नानु, निवासी केयर ऑफ शिवदान चारण, मकान नंबर 458, सुभाष मार्ग, गोपाल जी श्रीपत के घर के पास, गांधी कॉलोनी, जैसलमेर, तहसील व जिला जैसलमेर। ....**अभियुक्त**

<u>उपस्थितः</u>–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रसिंह भाटी – परिवादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री चनणाराम चौधरी – अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.11.2022

1. परिवादी हेमन्त खत्री की ओर से अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लेख अधिनियम का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने परिवाद पेश कर कथन किया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य अच्छी जान–पहचान व मधुर संबंध होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से 1,25,000/– रूपये अपनी जायज आवश्यकता होने पर दिनांक 26.07.2017 को उधार लिये व अभियुक्त द्वारा उक्त राशि के अदायगी पेटे परिवादी को अपने बैंक– स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, शाखा जैसलमेर का चैक [चैक संख्या 592353, राशि 1,25,000/–(अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) दिनांक 06.11.2017] अपने हस्ताक्षर कर इस आश्वासन से दिया कि बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जायेगा। दिनांक 26.07.2017 को ही एक इकरारनामा परिवादी से उक्त

राशि उधार प्राप्त करने तथा उक्त राशि चुकाने बाबत् उक्त चैक परिवादी को देने बाबत् अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया गया। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त चैक की राशि प्राप्त करने हेतु चैक को स्वयं के बैंक में प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त चैक मुल्जिम की बैंक शाखा द्वारा "Insufficient Balance" के नोट के साथ बिना भुगतान के चैक वापसी ज्ञापन के साथ लौटा दिया गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का एक नोटिस धारा 138 नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन अभियुक्त को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट अभियुक्त के पते पर दिनांक 13.11.2017 को प्रेषित किया, जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया। रजिस्टर्ड नोटिस मिल जाने के बाद भी 15 दिन की अवधि में चैक राशि का भुगतान अभियुक्त ने नहीं किया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध पराक्रम्य लेख अधिनियम की धारा 138 में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को दण्डित किये जाने व चैक की राशि से दुगुनी राशि परिवादी को दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

3. दिनांक 19.12.2017 को बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाए जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लेख अधिनियम (जिसे आगे से ''एन.आई.एक्ट.'' से संबोधित किया जायेगा) के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमानुसार उसे तलब किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन–समझ कर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. साक्ष्य के दौरान परिवादी हेमन्त खत्री ने स्वयं को अभियोजन साक्षी क्रमांक–01 के रूप में परीक्षित कराया और दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक प्रदर्श पी–01, चैक जमा पर्ची प्रदर्श पी–02, चैक रिटर्निंग मीमो प्रदर्श पी–03, विधिक नोटिस प्रदर्श पी–04 व 05, असल पोस्टल रसीदें प्रदर्शपी–06 व 07, अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त करने की मूल पावतियां प्रदर्श पी–08 व 09, परिवाद प्रदर्श पी–10, शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 न्यायालय में प्रदर्शित कराये गये।

6. अभियुक्त के बयान मुल्ज़िम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उसे उक्त प्रकरण में झूठा फंसाये जाने का कथन किया और कथन किया कि वह निर्दोष है। उसके द्वारा कोई रकम नहीं ली गयी।

पूर्व में उसके द्वारा हेमन्त खत्री के पास बीसी करवायी थी। उस वक्त उससे खाली चैक लिया था, जिसका गलत उपयोग किया गया। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया तथा साक्ष्य सफाई में गवाह दिनेश को डीडब्लू–01 के तौर पर परीक्षित करवाया और साथ ही अभियुक्त द्वारा निष्पादित इकरारनामा प्रदर्श डी–01, एसपी प्वाइंट की अभियुक्त व नीतू नामक महिला बाबत् जारी डायरी क्रमशः प्रदर्श 02 व 03 तथा परिवादी के वर्ष 2018–19 के इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति प्रदर्श डी–04 प्रदर्शित करवायी।

7. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु तय किये जाना आवश्यक एवं उचित है–

(1) क्या अभियुक्त ने परिवादी से उधार ली गयी राशि के भुगतान पेटे अपने बैंक – स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, शाखा जैसलमेर का चैक [चैक संख्या 592353, राशि 1,25,000/–(अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र), दिनांक 06.11.2017] अपने हस्ताक्षर कर इस आश्वासन से दिया कि बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जायेगा। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त चैक की राशि प्राप्त करने हेतु चैक को स्वयं के बैंक में प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त चैक मुल्जिम की बैंक शाखा द्वारा "Insufficient Balance" के नोट के साथ चैक का भुगतान नहीं किये जाने से रिटर्न मीमो प्रेषित कर सूचित किया गया, जिसके उपरांत परिवादी द्वारा अभियुक्त को विधिक नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा विधिक समयावधि में परिवादी को उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जावे?

9. अधिवक्ता परिवादी ने बहस अंतिम के दौरान कथन किया है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को लिखित इकरारनामा निष्पादित कर दिनांक 26.07.2017 को 1,25,000/– रूपये उधार दिये गये थे, जिनके भुगतान पेटे अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को दिया गया, परंतु उक्त चैक अपर्याप्त राशि के रिमार्क के आधार पर अनादरित हो गया, जिस पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस भेजकर चैक राशि के भुगतान की मांग

की गयी। अभियुक्त द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के संपूर्ण घटक अभियुक्त के विरूद्ध साबित होते हैं। अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं के तहत दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम के दौरान कथन किया है कि परिवादी बीसी का कार्य करता है तथा उक्त बीसी के कार्य के चलते अभियुक्त द्वारा 90,000/– रूपये की राशि परिवादी से प्राप्त की गयी थी। जिस राशि का भुगतान परिवादी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी डायरी में प्रतिदिन पैसे चुकाकर अभियुक्त द्वारा कर दिया गया है। परिवादी द्वारा वर्ष 2018–19 के इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रतियों में अभियुक्त को राशि उधार देने का इंद्राज नहीं है। इसके विपरीत दोनों पक्षकारान के मध्य निष्पादित इकरारनामा भी परिवादी द्वारा अभियुक्त पर दबाव डालकर बनाया गया है, क्योंकि उक्त इकरारनामे में निष्पादन की दिनांक 26.07.2017 न होकर दिनांक 01.09.2016 है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

11. धारा 138 एन.आई. एक्ट, 1881 के अंतर्गत अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये निम्न घटकों (Ingredients) को साबित किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता हैः–

1. सर्वप्रथम यह कि अभियुक्त द्वारा किसी बैंक में खोले गये अपने खाते का चैक किसी दूसरे व्यक्ति को उसके (अभियुक्त के) विधिक साध्य ऋण (Legally Enforceable Debt) के आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान बाबत् दिया गया हो तथा ऐसा चैक अभियुक्त के बैंक द्वारा 'अपर्याप्त राशि' अथवा 'उक्त राशि बैंक द्वारा उस खाते (Account) बाबत् भुगतान की जा सकने योग्य राशि से अधिक हो' की टिप्पणी के आधार पर अनादरित कर लौट आया गया हो;

2. चैक धारक (the drawee or the holder in due course of the cheque) द्वारा उक्त चैक, चैक पर लिखी दिनांक से तीन माह के भीतर–भीतर अथवा चैक की वैधता की अवधि के भीतर–भीतर बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो;

3. चैक धारक (the drawee or the holder in due course of the cheque) द्वारा बैंक से चैक अनादरण की सूचना मिलने से 30 दिनों की समयावधि में अभियुक्त को लिखित में एक विधिक नोटिस देकर अभियुक्त से उस चैक में वर्णित राशि के भुगतान की मांग की गई हो; तथा

4. अभियक्त उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के समय में चैक में वर्णित राशि का भुगतान चैक धारक (the drawee or the holder in due course of the cheque) को करने में असफल रहा हो।

12. परिवादी पक्ष की कहानी इस प्रकार है कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य अच्छी जान–पहचान होने के करण अभियुक्त की जायज आवश्यकता हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी से 1,25,000/– रूपये उधार मांगे गये, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 26.07.2017 को 1,25,000/– रूपये अभियुक्त को हाथ नकद–उधार दिये गये। उसी दिनांक को अभियुक्त द्वारा उधार प्राप्त किये गये रूपयों के संबंध में इकरारनामा परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा उक्त इकरारनामे के अनुसार परिवादी द्वारा उधार दिये गये रूपयों के संबंध में अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को दिया जाना तय हुआ। तत्पश्चात् उक्त चैक को बैंक में भुगतान हेतु पेश करने पर उक्त चैक अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ अनादरित कर परिवादी को लौटाया गया, जिस पर परिवादी द्वारा नियत समयावधि के भीतर अभियुक्त के ज्ञात पतों पर विधिक नोटिस भेजकर चैक में वर्णित राशि की मांग की गयी। अभियुक्त को उक्त नोटिस प्राप्त हुये, परंतु अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया।

13. विवादित चैक प्रदर्श पी–01 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त ने चैक प्रदर्श पी–01 पर Drawer के तौर पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। अभियुक्त ने विवादित चैक स्वयं के बैंक खाते का होने के तथ्य से भी इंकार नहीं किया है। अभियुक्त ने उक्त चैक परिवादी को दिये जाने के तथ्य से भी इंकार नहीं किया है। हालांकि परिवादी ने उक्त चैक सिक्योरिटी पेटे परिवादी को दिये जाने का कथन धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में किया है।

14. अभियुक्त द्वारा स्वयं का हस्ताक्षरित एवं स्वयं के खाते का चैक परिवादी को दिये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त के विरूद्ध धारा 118(a) व धारा 139 एनआई एक्ट की अवधारणा की जाती है। एन.आई.एक्ट की धारा 139 के तहत अभियुक्त

के विरूद्ध यह प्रारम्भिक अवधारणा की जाती है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत चैक किसी विधिक साध्य ऋण के भुगतान पेटे परिवादी को दिया गया था। उसी प्रकार धारा 118(a) एन.आई.एक्ट के तहत यह अवधारणा की जाती है कि अभियुक्त द्वारा जो चैक परिवादी को दिया गया था, वह किसी प्रतिफल के पेटे ही दिया गया था। साथ ही धारा 20 एन.आई.एक्ट के तहत चैक पर Drawer के तौर पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने की स्थिति में परिवादी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह चैक में बाकी की इबारत भरकर उक्त चैक के जरिये भुगतान प्राप्त कर सके। धारा 139 एन.आई.एक्ट तथा धारा 118 एन.आई.एक्ट की अवधारणा को खण्डित करने का भार अब अभियुक्त पर है।

15. अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध की गयी अवधारणा को खंडित करने बाबत् परिवादी गवाह हेमंत खत्री से जिरह की गयी और साथ ही बचाव साक्ष्य में दिनेश डीडब्लू–01 को बतौर गवाह पेश किया गया और साथ ही प्रदर्श डी–01 से लगाकर प्रदर्श डी–04 पेश किये।

परिवादी द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से की गयी जिरह में परिवादी ने कथन किया है कि वह अभियुक्त को बयान की दिनांक से करीब 7–8 वर्ष पूर्व से जानता है; कि अभियुक्त उसके मकान के पीछे वाली गली में रहता है; कि अभियुक्त के परिवार में कुल 04 सदस्य हैं, परंतु उसका अभियुक्त के घर आना–जाना नहीं है; कि वह हैन्डीक्राफ्ट का कार्य करता है; कि वह इन्कम टैक्स रिटर्न भरता है और उसने वर्ष 2017 में भी इन्कम टैक्स रिटर्न भरा था तथा वर्ष 2017 के इन्कम टैक्स रिटर्न में उसके द्वारा लोगों को रूपये उधार दिये जाने का हवाला है; कि परिवादी द्वारा वर्ष 2018–19 का इन्कम टैक्स रिटर्न पेश करने पर अभियुक्त पक्ष द्वारा उसे प्रदर्श डी–04 मार्क कर परिवादी से जिरह की गयी, जिस पर परिवादी ने इस सुझाव को सही बताया है कि इन्कम टैक्स प्रदर्श डी–04 में कैलाश नामक व्यक्ति को पैसे उधार देने बाबत् इंद्राज नहीं है; कि यह सुझाव गलत है कि वह लोगों को पैसे उधार देता है तथा ब्याज का धंधा करता है; कि यह सुझाव सही है कि 9462094620 उसी के मोबाइल नंबर हैं; कि यह गलत है कि एसपी प्वाइंट का मालिक वही है; कि यह सुझाव गलत है कि प्रदर्श डी–01 इकरारनामा दिनांक 01.09.2016 को निष्पादित हुआ हो। गवाह ने प्रदर्श डी–01 देखकर स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–01 में ए से बी दिनांक 01.09.2016 अंकित है; कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक उसे भरी हुयी अवस्था में दिया गया था; कि अभियुक्त द्वारा उसे विवादित चैक अकेले में दिया गया था; कि प्रदर्श डी–01

इकरारनामा बाबत् स्टाम्प उसके द्वारा अशोक खत्री से खरीदा गया था, परंतु अशोक खत्री का स्टाम्प वेन्डर बाबत् रजिस्ट्रेशन कब का है, इसकी उसे जानकारी नहीं है; कि यह सुझाव गलत है कि प्रदर्श डी–02 के अनुसार उसने किसी नीतू का खाता एसपी प्वाइंट में खोला हो; कि यह सुझाव गलत है कि प्रदर्श डी–02 उसके द्वारा जारीशुदा हो; कि यह कहना गलत है कि उसने एसपी प्वाइंट में कैलाश गुजराती नामक व्यक्ति का खाता खोला हो; कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी–02 में दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हों; कि यह सही है कि प्रदर्श डी–02 में प्रथम पेज पर लिखा मोबाइल नंबर उसी का है; कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी–03 डायरी उसके द्वारा जारी हो; कि प्रदर्श डी–03 डायरी में कहीं पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं हैं; कि यह सही है कि प्रदर्श डी–03 में मुख्य पृष्ठ पर उसके मोबाइल नंबर मौजूद हैं।

16. अभियुक्त पक्ष की ओर से गवाह दिनेश को डीडब्लू–01 के तौर पर परीक्षित करवाया गया। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह परिवादी को जानता है। परिवादी फाईनेन्स का धंधा करता है और ब्याज पर रूपये देता है; कि परिवादी ने अभियुक्त को रूपये दिये थे, जिसके संबंध में डायरी प्रदर्श डी–02 है; कि अभियुक्त द्वारा जो पैसे परिवादी से लिये गये थे, उस संबंध में अभियुक्त ने खाली चैक परिवादी को दिया था; कि अभियुक्त ने परिवादी से उधार लिये सारे पैसे चुका दिये थे; कि जब अभियुक्त ने खाली चैक परिवादी को दिया, तब वह साथ में था; कि परिवादी ब्याज पर रूपये देता है तथा एक लाख रूपये ब्याज पर मांगने पर 90,000/– रूपये ही देता है और 10,000/– रूपये ब्याज के तौर पर रकम उधार देते समय ही काट लेता है और उसके बाद एक हजार की किश्त उधार लेने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन चुकाने पड़ते हैं और पूरे एक लाख रूपये भरने पड़ते हैं।

उक्त गवाह से की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त उसका रिश्ते में जीजा लगता है; कि परिवादी द्वारा उसके ऊपर चैक अनादरण का मुकदमा किया हुआ है; कि उसने परिवादी से रूपये उधार लिये थे; उसने परिवादी से कभी एक लाख कभी 50 हजार कभी 20 हजार तथा कभी 10 हजार रूपये उधार लिये थे; कि उसे याद नहीं है कि परिवादी ने अभियुक्त को कौन सी दिनांक को कितने रूपये उधार दिये थे; कि उसे इस तथ्य की भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी को कितने रूपये किस दिनांक को चुकाये; कि अभियुक्त ने प्रदर्श डी–02 व डी–03 डायरी उसको लाकर नहीं दिखायी तथा उसे मालूम नहीं है कि उन डायरियों में क्या लिखा है; कि उसे यह भी

जानकारी नहीं है कि प्रदर्श डी–02 व डी–03 डायरी किस दिनांक को किस फर्म द्वारा जारी की गयी थी; कि उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त तथा परिवादी के मध्य क्या लिखा–पढ़ी हुयी थी।

17. सर्वप्रथम अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह डीडब्लू–01 के संपूर्ण बयानों का अवलोकन किया तो यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाह अभियुक्त पक्ष की कोई सहायता करने में सफल नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उक्त गवाह मुख्य परीक्षण के दौरान उसकी उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा परिवादी से 90 हजार रूपये उधार लिये जाने तथा अभियुक्त द्वारा उसकी उपस्थिति में परिवादी को विवादित चैक देने का कथन करता है तथा प्रदर्श डी–02 डायरी की जानकारी होने का भी कथन करता है, वहीं उक्त गवाह जिरह के दौरान परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य हुयी लिखा–पढ़ी प्रदर्श डी–01 की जानकारी नहीं होने का कथन करता है और साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार करता है कि उसने प्रदर्श डी–02 अथवा प्रदर्श डी–03 डायरियां नहीं देखी और न ही उसे इस बात की जानकारी है कि उक्त डायरियां किस फर्म के द्वारा किस दिनांक को जारी की गयी थी। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से किस दिनांक को कितने रूपये उधार लिये गये तथा किस दिनांक को अभियुक्त द्वारा कितने रूपये परिवादी का लौटाये गये।

अब जहां तक परिवादी गवाह पीडब्लू–01 से की गयी जिरह का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य जान–पहचान है, यह तथ्य विवादित नहीं है। परिवादी की जिरह मे कोई ऐसा तथ्य नहीं आया, जो यह दर्शाता हो कि परिवादी की आर्थिक हैसियत अभियुक्त को 1,25,000/– रूपये देने की नहीं हो।

परंतु परिवादी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके द्वारा इन्कम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तथा उसने वर्ष 2017 में भी इन्कम टैक्स रिटर्न भरे थे तथा उसके इन्कम टैक्स रिटर्न में लोगों को उधार दिये गये रूपयों का इंद्राज होता है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा आदेशित करने पर परिवादी द्वारा वर्ष 2018–19 का इन्कम टैक्स रिटर्न पेश किया गया, जिसे प्रदर्श डी–04 प्रदर्शित किया गया। परिवादी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उक्त इन्कम टैक्स रिटर्न में अभियुक्त को वर्ष 2017 में उधार दिये गये रूपयों का इंद्राज नहीं है।

इसी प्रकार परिवादी अपने परिवाद, शपथ पत्र, अभियुक्त को भेजे गये नोटिस इत्यादि में परिवादी द्वारा अभियुक्त को रूपये उधार दिये जाने के वक्त एक इकरारनामा निष्पादित किये जाने का कथन करता है। उक्त इकरारनामा भी परिवादी के अनुसार दिनांक 26.07.2017 को निष्पादित किया गया था तथा उसी दिनांक को परिवादी द्वारा अभियुक्त को 1,25,000/– रूपये दिये गये थे। परिवादी के अनुसार उक्त इकरारनामे में अभियुक्त द्वारा परिवादी से 1,25,000/– उधार प्राप्त करने तथा उक्त रूपयों को चुकाने बाबत् अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदर्श पी–01 चैक दिये जाने का कथन है। परिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उक्त इकरारनामे में इकरारनामे की इबारत की अंतिम पंक्ति में दिनांक 01.09.2016 है, जो 'इति दिनांकः– 01.09.2016' अंकित है। उक्त दस्तावेज में दिनांक 01.09.2016 अंकित होना क्या केवल मात्र एक त्रुटि है अथवा वाकई में उक्त दस्तावेज दिनांक 01.09.2016 को ही निष्पादित किया गया था, इस तथ्य को स्पष्ट करने का भार परिवादी पर था, परंतु परिवादी द्वारा उक्त भार के निर्वहन का प्रयास नहीं किया गया। परिवादी अपनी जिरह के दौरान कथन करता है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक उसे दिये जाने के समय कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, परंतु यह तथ्य भी स्पष्ट है कि परिवादी दिनांक 26.07.2017 को ही अभियुक्त को रूपये उधार देने का कथन करता है तथा उसी दिनांक को अभियुक्त द्वारा इकरारनामा प्रदर्श पी–01 उसके पक्ष में निष्पादित करने का कथन करता है। इकरारनामा प्रदर्श डी–01 में बतौर इकरारनामा साक्षी दो गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। परिवादी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि इकरारनामा प्रदर्श पी–01 के गवाहों को अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक दिये जाने की जानकारी थी अथवा नहीं, क्योंकि प्रदर्श पी–01 इकरारनामा में भी अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को दिये जाने का अंकन है।

इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श डी–01 इकरारनामा हेतु स्टाम्प उसके द्वारा अशोक खत्री नामक स्टाम्प वेन्डर से खरीदा गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अगर प्रदर्श डी–01 दस्तावेज के प्रथम पृष्ठ की पुष्ठ को देखा जाये तो उस पर स्टाम्पक्रेता का नाम कैलाश पुत्र दानाराम नानू अंकित है, जो कि परिवाद के अनुसार अभियुक्त का नाम है। अतः प्रदर्श डी–01 के अनुसार उक्त स्टाम्प अभियुक्त द्वारा खरीदा गया है, न कि परिवादी के द्वारा। अतः न्यायालय के मत में प्रदर्श डी–01 स्टाम्प के निष्पादन की दिनांक, स्टाम्पक्रेता का नाम तथा उक्त इकरारनामे के

गवाहों को विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के तथ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा यह भार निश्चित ही परिवादी पर ही था कि वह उक्त बिंदुओं को स्पष्ट करता, क्योंकि परिवादी द्वारा ही अपने परिवाद में उक्त इकरारनामे के आधार पर ही अभियुक्त को रूपये उधार दिये जाने का अंकन है। परिवादी द्वारा उपर्युक्त बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया गया।

अभियुक्त ने परिवादी गवाह से जिरह के जरिये यह दर्शाने का प्रयास किया है कि परिवादी लोगों को उधारी पर रूपये देता है और उनसे ब्याज वसूलता है तथा परिवादी द्वारा लोगों को रूपये उधार देकर उनसे प्रतिदिन उधार रूपयों की एक किश्त वसूली जाती है और उक्त किश्त वसूली का इंद्राज प्रतिदिन एक डायरी में किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बीसी कहा जाता है। परिवादी गवाह से की गयी जिरह में परिवादी गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–02 तथा प्रदर्श डी–03 डायरी के मुख्य पृष्ठों पर उसके मोबाइल नंबर मौजूद हैं। हालांकि उक्त गवाह ने उक्त डायरियों पर अंकित एसपी प्वाइंट का मालिक होने से इंकार किया। साथ ही उक्त डायरियों में प्राप्तकर्ता के तौर पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया। उक्त डायरियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रूपये उधार प्राप्तकर्ता द्वारा एक निश्चित रकम उधार लिये जानने के पश्चात् करीब एक हजार रूपये अथवा 300/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उधार देने वाले व्यक्ति को चुकाने होते हैं तथा उधार ली गयी समस्त रकम करीब 100 दिनों में चुकानी होती है। उक्त डायरियों के अंतिम पृष्ठ पर उक्त योजना बाबत् नियम व शर्तें भी अंकित हैं। निश्चित ही यह भार परिवादी पर था कि वह इस तथ्य को स्पष्ट करता कि उक्त दोनों ही डायरियों पर मुख्य परीक्षण पर उसके मोबाइल नंबर किस प्रकार अंकित है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी परिवादी के मोबाइल नंबरों का दुरूपयोग कर रूपये उधार देने का धंधा करता हो, परंतु यह स्थिति परिवादी को ही स्पष्ट करनी थी कि उसके मोबाइल नंबर उक्त दोनों डायरियों पर किसी आधार पर मौजूद हैं। परिवादी द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर एक शक परिवादी के विरूद्ध उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि परिवादी भी इस प्रकार की योजना में शामिल है।

उपर्युक्त की गयी विवेचना की रोशनी में न्यायालय के मत में अभियुक्त पक्ष परिवादी की कहानी में घोर संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है, जिस संदेह का उन्मोचन परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। अतः धारा 118(a) व धारा 139 एनआई एक्ट की अवधारणा अभियुक्त के विरूद्ध खंडित मानी जाती है।

18. अब न्यायालय का यह देखना है कि क्या परिवादी द्वारा भेजे गये विधिक नोटिस प्रदर्श पी–04 व 05 अभियुक्त को सम्यक रूप से प्राप्त हुये कि नहीं। इस संबंध में नोटिस प्रति प्रदर्श पी–04 व 05, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी–06 व 07, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी–08 व 09 का सम्मिलत अवलोकन किया गया। अभियुक्त ने उक्त सभी दस्तावेजात पर अंकित उसके पतों का खंडन नहीं किया। अतः न्यायालय के मत में विधिक नोटिस प्रदर्श पी–074 व 05 अभियुक्त को विधिवत रूप से प्राप्त हुये हैं।

19. अतः ऐसी सूरत में न्यायालय के मत में अभियुक्त धारा 118(a) व धारा 139 एनआई एक्ट की अवधारणा को खंडित करने में सफल रहा है, वहीं परिवादी 138 एनआई एक्ट के सभी घटक अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उस पर आरोपित धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

20. अतः **कैलाश** पुत्र दाना नानु, निवासी केयर ऑफ शिवदान चारण, मकान नंबर 458, सुभाष मार्ग, गोपाल जी श्रीपत के घर के पास, गांधी कॉलोनी, जैसलमेर, तहसील व जिला जैसलमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

सीताराम चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

21. निर्णय आज दिनांक **07.11.2022** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

सीताराम चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर